कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

दिनांक : 16-09-16

पत्र संख्याः डी/138/सचिव (न.नि.)/16–17

सेवामें

श्री/श्रीमती/सुश्री.....,

मा0 पार्षद वार्ड सं0...../मा0 नाम निर्दिष्ट सदस्य/मा0 पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 01.09.2016 दिन गुरूवार पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 12 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक-01-09-2016 दिन गुरूवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	महापौर / अध्यक्ष
श्री मदन लाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद / सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीना साहू	पार्षद / सदस्य
श्री बीरबल सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू"	पार्षद / सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री गौरव जैन	पार्षद / सदस्य
श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया	पार्षद / सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद / सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता देवी	पार्षद / सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद / सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद / सदस्य
श्री हरिश्चन्द्र	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद / सदस्य
श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद / सदस्य
श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रामजानकी यादव	पार्षद / सदस्य
श्रीमती शाइमा	पार्षद / सदस्य
श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्रीमती उत्तम	पार्षद / सदस्य
श्री राम कुमार पाल	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती मीनू गुप्ता	पार्षद / सदस्य
श्री चेतन सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री आबिद अली	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्री सलीम बेग	पार्षद / सदस्य
श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री संजय यादव	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद / सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद / सदस्य
श्री कोशल कुमार मिश्रा	पार्षद / सदस्य

ह0...महापौर

श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद / सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद / सदस्य
श्री कमल शुक्ल "बेबी"	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल कलाम	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सोनी पाल	पार्षद / सदस्य
श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती मधु	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री रामौतार प्रजापति	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
डा0 नीना अवस्थी	पार्षद / सदस्य
श्री सुरजीत सचान	पार्षद / सदस्य
श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद / सदस्य
श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री विनय अग्रवाल	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद / सदस्य
श्री आदर्श	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद / सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद / सदस्य
श्री पंकज सचान	पार्षद / सदस्य
श्री सारिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद / सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद / सदस्य
श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती प्रवेश कुमारी	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 आरिफ	पार्षद / सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रेनू सब्बरवाल	पार्षद / सदस्य
श्री आमोद	पार्षद / सदस्य

ह0...महापौर

श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद / सदस्य	
श्री मन्नू रहमान	पार्षद / सदस्य	
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद / सदस्य	
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य	
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य	
मो0 इरफान खान	पार्षद / सदस्य	
नाम निर्दिष्ट सदस्य		
श्री शैलेन्द्र मिश्रा		
श्री अब्दुल वासिद		
श्री शशीभाल शुक्ला		
श्री चन्द शेखर यादव		
श्री मुन्सिफ अली रिजवी		
श्री बलवन्त सिंह		
अधिकारीगण		
श्री उमेश प्रताप सिंह		नगर आयुक्त
श्री विनोद कुमार गुप्ता		अपर नगर आयुक्त
श्री अजय प्रताप सिंह		मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
श्री पंकज श्रीवास्तव		नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री मनीष कुमार सिंह		मुख्य अभियन्ता
श्री रमेश कुमार कर्दम		अधिशाषी अभियन्ता वि. / याँ
श्री आर0पी0सिंह सलूजा		महाप्रबन्धक (जलकल)
डॉ0 ए0के0सिंह		पशु चिकित्साधिकारी
श्री ए0के0 शुक्ला		वित्त अधिकारी (जलकल)

राष्ट्रीय गीत (वन्देमातरम्) गायन के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष ने नगर आयुक्त से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। तद्नुक्रम में नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित बजट की प्रतियों को सदस्यों में वितरित करने हेतु कहा।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा सभी सदस्यों को नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित बजट की प्रतियाँ वितरित कराई गई। साथ ही नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–147 के अन्तर्गत आय–व्यय के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये पुनरीक्षित बजट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया।

क्रमाक –01 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 06-02-16 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1309 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

प्रस्ताव संख्याः–166

पुनरीक्षित बजट

ह0...महापौर

वर्ष 2015-16

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2014-15 तक	प्रस्तावित धनराशि 2015-16	वास्तविक आय अगस्त 2015 तक	पुनरीक्षित 2015-16
	Revenue Income		राजस्व आय				
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	12503.66	13010.50	3029.00	13101.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के आधीन आय	1.77	2.00	0.08	2.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	146.29	123.50	33.24	128.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	754.11	1083.00	266.96	1109.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	99.09	133.00	9.23	133.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	36.43	51.00	0.00	51.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	1644.46	607.00	375.16	907.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	80.14	87.10	37.69	92.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	42811.16	42753.00	7511.42	30628.00
	TOTAL-(A)		योग (अ)	**58077.10**	**57941.10**	**11262.78**	**46152.60**
	Capital Income		पूँजीगत आय				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	1999.58	5300.00	4355.89	10400.00
3111	Finance Commission: Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	11439.61	9050.00	0.00	6550.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	253.48	315.00	0.63	763.00
3111	Other Eamarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	0.00	4.00	0.00	4.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	0.00	106.00	0.00	106.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	13692.67	14775.00	4356.52	17823.00
	TOTAL-B-		योग (ब)				
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	2312.75	6737.41	0.00	6737.41
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवाल्विंग फण्ड)	10915.79	11663.12	0.00	11663.12
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना प्राप्तियाँ	0.00	72243.58	0.00	72243.58
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय				
	TOTAL-C-		योग (स)	**13228.54**	**90644.11**	**0.00**	**90644.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	**84998.31**	**163360.21**	**15619.31**	**154619.71**

ह0...महापौर

	Income (A+B+C)						
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः-	33141.89	21639.14	47584.60	21639.14
	Grand Total		महायोग	**118140.20**	**184999.35**	**63203.90**	**176258.85**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	वास्तविक आय 2014-15 तक	प्रस्तावित धनराशि 2015-16	वास्तविक आय अगस्त 2015 तक	पुनरीक्षित 2015-16
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	26001.33	27860.00	12063.72	30030.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	4235.91	2040.00	237.56	2261.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	14934.94	24871.00	9791.86	21781.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	349.77	408.00	0.42	408.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	446.10	2040.00	387.70	1692.00
	TOTAL-D-		योग (द)	**45968.05**	**57219.00**	**22481.26**	**56172.00**
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय				
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ				
3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	5133.59	6800.00	1792.36	11300.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	5075.10	11500.00	3937.07	10500.00
3111	Other Eamarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	435.57	1266.00	0.00	1364.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	0.00	107.00	0.00	107.00
	TOTAL-E-		योग (य)	**10644.26**	**19677.00**	**5729.43**	**23275.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)				
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	0.00	6737.41	0.00	6737.41
4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	0.00	72243.58	0.00	72243.58
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	13248.58	11643.12	0.00	11643.12
	TOTAL-F-		योग (र)	**13248.58**	**90624.11**	**0.00**	**90624.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**69860.89**	**167520.11**	**28210.69**	**170071.11**

ह0...महापौर

3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें/उचन्त खाते	-694.72	0.00	2610.16	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	**70555.61**	**167520.11**	**25600.53**	**170071.11**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :-	47584.60	17479.24	37603.37	6187.74
	Grand Total		महायोग	**118140.20**	**184999.35**	**63203.90**	**176258.85**

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि जानना चाहता हूँ कि इस पुनरीक्षित बजट या नगर निगम का मूल बजट जो प्रस्तुत किया जाना है, उसमें 2015-16 के दायित्वों को समायोजित कर लिया गया है अथवा नही। क्योंकि प्रत्येक पार्षद बजट सील के लिये जोन से मुख्यालय व मुख्यालय से जोन दौड़ता रहता है। विडम्बना है कि कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्को का विकास/सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है, परन्तु नगर निगम में माली नही है, इससे प्रश्नचिन्ह लगता है कि पार्को का रख-रखाव किस प्रकार किया जायेगा। कानपुर महानगर में लगभग 85000 मार्गप्रकाश बिन्दु है, जिसमें उपकरण न होने के कारण काफी बड़ी संख्या में प्रकाश बिन्दु बन्द है। केन्द्र सरकार महानगरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहता है, इसके दृष्टिगत बजट में कटौती कर दी गई है। साथ ही कहा कि चुनावी वर्ष होने की वजह से अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्रत्येक पार्षद को वार्ड में विकास कार्य कराये जाने हेतु रू० 50-50 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान कर दिया जाये। नगर आयुक्त महोदय सुबह सफाई निरीक्षण में जाते है, तदनुक्रम में अवगत कराना चाहता हूँ कि सफाई से सम्बन्धित एन.जी.ओ. द्वारा केवल चंदा उगाही की जाती है, सफाई नगर निगम कर्मियों द्वारा कराई जाती है। प्रत्येक वार्ड में दो-दो नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं पाँच-पाँच हैण्डम्प रिबोर कराने के आदेश पूर्व में आप द्वारा निर्गत किये गये थे, जिसका अनुपालन नही हो पाया है। 74वाँ संविधान संशोधन लागू कराने का सार्थक प्रयास किया जाये, हम सभी सदस्य आपके साथ है।

अध्यक्ष ने सदस्यों को अवगत कराया कि जैसा कि मुझे संज्ञान में है कि नगर निगम निर्वाचित प्रथम सदन में पार्षदों द्वारा रू० 25-25 लाख की धनराशि से प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य कराये जाने की माँग की गई थी, जिसमें तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा विकास कार्यो को सीमा में न बाँधने के लिये सभी पार्षदों से प्रस्ताव प्रेषित करने के लिये कहा था, उस पर अमल भी किया गया, जिसका परिणाम विकास के रूप में कानपुर महानगर में स्वयमेव परिलक्षित हो रहा है। सभी सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नगर निगम द्वारा प्राविधानित बजट की धनराशि में विकास कार्यो को कराये जाने का प्रथम अधिकार निर्वाचित पार्षदों का है, परन्तु पदेन सदस्यों द्वारा अनावश्यक दबाव/प्रभाव प्रस्तुत कर निर्वाचित पार्षदों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यदि आप सभी सहमत हो तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित बजट को स्वीकृत प्रदान कर दी जाये।

ह0...महापौर

..... वित्तीय वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित बजट में आय पक्ष में दर्शाई गई धनराशि रू० 154619.71 एवं प्रारम्भिक अवशेष रू० 21639.14 कुल रू० 176258.85 के साथ व्यय पक्ष में दर्शाई गई धनराशि 170071.11 एवं अन्तिम अवशेष रू० 6187.74 कुल रू० 176258.85 को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री अतुल त्रिपाठी ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि एक अहम प्रस्ताव, जो समाज हित में है, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो उस प्रस्ताव को टेबुल कर दिया जाये।

अध्यक्ष ने मध्यान्ह में नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2016-17 का मूल बजट भी प्रस्तुत किया जाना है, अतः समय की न्यूनता के दृष्टिगत सदस्यगण क्रमशः अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

श्री अतुल त्रिपाठी ने कहा कि सदस्यों के अनुरोध पर आपने चर्चा कराने का निर्णय लिया है, उसके लिये धन्यवाद्। अध्यक्ष महोदय सत्य है कि प्राचीनकाल से ही किन्नर समाज के अंग रहे है। जैसा कि महाभारत में पाण्डवों के अज्ञातकाल में अर्जुन को वृहन्नला किन्नर का रूप धारण करना पड़ा था और वर्तमान में कानपुर महानगर में ही नही वरन् पूरे देश-प्रदेश में शादी समारोहों एवं अन्य मांगलिक कार्यो में इनके द्वारा नेग को अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। यहाँ तक की लोगों के समक्ष अश्लीलता प्रदर्शित करने के लिये कपड़े तक उतारने पर अमादा हो जाते है। रू० 51/- या 100/- की माँग नही की जाती सीधे रू० 21000/-, 51000/- या रू० 100000/- तक की माँग करते हुये नागरिकों को शर्मिन्दा करते हुये जबरन अधिक से अधिक धन की उगाही की जाती है। इस कृत्य से इनको समाज का अभिन्न अंग मानने के स्थान पर इनकों अभिशाप के रूप में माना जाने लगा है। कुछ किन्नर प्राकृतिक रूप से होते है और कुछ किन्नर अप्राकृतिक रूप से किन्नर बनाये जाते है। नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-446 पृष्ठ संख्या-101 में उद्धृत किया गया है कि कोई भी नगर निगम सीमान्तर्गत धार्मिक भावना या अन्य प्रकार से जबरदस्ती धन की उगाही नही कर सकता है। अतः अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार अन्तिम संस्कार के लिये भैरवघाट में पण्डों की उगाही से बचने के लिये सदन से प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी प्रकार यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाये तो यह समाज के लिये उचित होगा।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्याः-167</u> श्री अतुल त्रिपाठी, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :-

मा० सदन के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ कि कानपुर की जनता किन्नरों (मंगलामुखी) के आतंक से त्रस्त है और इसके निवारण के लिये वर्तमान नगर निगम सदन की ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रही है।

ह0...महापौर

श्रीमान् जी कालान्तर में यह व्यवस्था समाज में थी कि उभयपक्ष लिंग किन्नर के जीवनयापन हेतु मांगलिक कार्यक्रम जैसे पाणिग्रहण, यज्ञोपवीत, मुण्डन अथवा नवजात शिशु के जन्म पर बधाई गीत गाकर आशीर्वचन से अभिसिंचित कर उस परिवार से जीवनयापन हेतु दान स्वरूप अनाज एवं धनराशि परिवार से स्वेच्छा से ग्रहण होती थी।

परन्तु आज यह व्यवस्था कुप्रथा में परिलक्षित होने लगी है। किन्नरों के गिरोह बन गये जो अप्राकृतिक रूप से जोर जबरदस्ती से किन्नर बनाने लगे, एकराय होकर संगठित रूप से मांगलिक कार्यक्रमों का निष्पादन कर रहे परिवार पर धावा बोलते है और मुँहमांगी भारी भरकम रकम वसूलते है, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति जर्जर होती है उनकों अपमान का घूँट पीना पड़ता है। आस-पड़ोस से उधार व्यवहार कर किन्नरों को संतुष्ट करना पड़ता है। न देने पर यह सम्भ्रान्त परिवारों को अपमानित करने के साथ-साथ हमलावर हो जाते है। कोई नियंत्रण व्यवस्था न होने के कारण किंकर्तविमूढ़ होकर समाज पीड़ा सहता है। आप और हम जैसे समाज के हितचिंतक इस असाध्य सामाजिक रोगों का प्रतिकार करने में असमर्थता महसूस करते है।

जबकि नगर निगम अधिनियम 1959 धारा संख्या-446 में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के अन्तर्गत जोर जबरदस्ती से नागरिक में दान की भावना जागृत नही कर सकता, यदि इस धारा-446 का अनुपालन किया जाये तो जो जनहित में साबित होगा और मैं सदन के समर्थन के लिये विशेष रूप से आभारी रहूँगा और यह दावा है कि इस कदम से सभी माननीय सदस्य अपने आपको इस सदन के सदस्य निर्वाचित होने पर गौरवान्वित महसूस करेंगे।

श्री सुमित सरोज ने श्री अतुल त्रिपाठी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि वास्तव में किन्नरों/हिंजड़ों द्वारा जबरदस्ती उगाही की जाती है। यदि इनका पंजीकरण करते हुये रजिस्ट्रेशन नम्बर व क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाये तो काफी हद तक इनकी अराजकता कम हो जायेगी।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि श्री अतुल त्रिपाठी का प्रस्ताव नगर व समाज के लिये महत्वपूर्ण है। इसी परिप्रेक्ष्य में सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार लखनऊ नगर निगम में व्यवस्था दी गई है, उसी प्रकार वहाँ से अभिलेखों का अध्ययन करते हुये तद्नुसार यहाँ भी कार्यवाही की जाये।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने भी प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कहा कि यदि अन्य नगर निगमों में इससे सम्बन्धित कोई नियम लागू है तो उसी प्रकार उसे यहाँ भी लागू करने में कोई एतराज नही है।

ह0...महापौर

अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सदस्य सहमत है कि किन्नरों द्वारा खुशी के अवसरों में जनजीवन का दोहन/उत्पीड़न किया जाता है। अतः लखनऊ नगर निगम से पारित प्रस्ताव एवं अन्य अभिलेख मंगा कर विस्तार से उनका अध्ययन कर लिया जाये और तद्नुसार विधिक राय लेते हुये नगर निगम, कानपुर में भी लागू किया जाये, जिससे आम जनमानस लाभान्वित हो सके।
..... **सर्वसम्मति से किन्नरों से सम्बन्धित लखनऊ नगर निगम से पारित प्रस्ताव एवं अन्य अभिलेख मंगा कर विस्तार से उनका अध्ययन कर विधिक राय लेते हुये नगर निगम, कानपुर में भी लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से कहा कि नगर निगम का आवारा जानवरों से सम्बन्धित विभागीय प्रस्ताव है, यदि आप सभी सदस्य सहमत हो तो सदन पटल पर प्रस्तुत किया जाये, क्योंकि यह प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा सका है और कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी इस बैठक में उपस्थित है, यदि समिति के सभी सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दे तो उसे इस बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि आवारा जानवरों को पकड़कर काँजी हाउस में उन्हें भूखा--प्यासा नही रखा जा सकता है।

मा० कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने आवारा जानवरों से सम्बन्धित विभागीय प्रस्ताव की आवश्यकता के दृष्टिगत स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन पटल पर प्रस्तुत करने के लिये कहा।

श्री विनोद कुमार गुप्ता अपर नगर आयुक्त द्वारा प्रस्ताव पढ़ा गया।

नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 डी/80/कैटिल कैचिंग/16–17, दिनांक 21.07.2016, जो माननीय कार्यकारणी समिति के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

टेबुल प्रस्ताव संख्याः–168

प्रस्ताव

साधारण गजट में इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13.03.1999 द्वारा नगर निगम सीमा के भीतर पशु पालकों को अनुज्ञप्ति देने तथा उनके अनुरक्षण से सम्बन्धित अधिसूचना उ0प्र0, नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 की उपधारा 21

से 26 व 41 के अन्तर्गत पशुपालकों व कॉजी हाउस में बन्द होने वाले जानवरो के स्वामियों से लाइसेन्स शुल्क व जुर्माना वसूलवाने व नियमित रखने कि लिए उपविधि तैयार कर, उ0प्र0, नगर निगम अधिनियम की धारा 542 के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर सदन के विचारोपरान्त धारा 543 की अपेक्षानुसार कार्यवाही के उपरान्त धारा 544 के अन्तर्गत प्रकाशित की गयी थी।

उक्त अधिसूचना के प्रपत्र 'ख' के पश्चात् कानपुर नगर निगम के कॉजी हाउस में बन्द पशुओं के स्वामियों से शुल्क व जुर्माना वसूल करने सम्बन्धी उपविधि 1977 प्रकाशित की गयी थी, जिसके नियम '3' में कोई भी पशु कॉजी हाउस में प्रविष्ट हो जाने पर, उसके स्वामी अथवा अभिभावक द्वारा अनुसूची में दी गयी दरों पर जुर्माना व खुराकी की धनराशि जमा करने पर ही कॉजी हाउस से मुक्त किया जाना प्रावधानित है। दरें निम्नवत् है :–

01. प्रति पशु	रू0 10.00
02. कॉजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	रू0 350.00
03. प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	रू0 10.00
04. प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	रू0 25.00

उपरोक्त दरें वर्ष 1999 से निर्धारित है तथा अब लगभग 17 वर्ष व्यतीत हो रहे है व महंगायी दर भी बढ़ चुकी है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रस्तावित दरें, माननीय कार्यकारणी समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

01. प्रति पशु	रू0 100.00
02. कॉजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	रू0 1000.00
03. प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	रू0 75.00
04. प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	रू0 150.00

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने जानकारी चाही की जो प्रतिदिन की दरें पुनरीक्षित की गई है, उसमें रू० 1000/– जुर्माना निर्धारित किया गया है, क्या इसमें चारें-भूंसे का चार्ज भी सम्मिलित है।

सभापति ने स्पष्ट करते हुये बताया कि जुर्माना के अतिरिक्त खर्च भी लिया जायेगा।

ह0...महापौर

श्री गिरीश चन्द्र ने कहा कि जुर्माना एवं खर्च वसूलते हुये जानवर छोड़ा जायेगा, तो क्या उसकी रसीद दी जायेगी।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि दरें जो निर्धारित की गई है, वह केवल गाय के लिये ही है या सुअर/कुत्तों के लिये भी दण्ड प्रस्तावित किया जा रहा है।

श्री मो० शमीम आजाद ने कहा कि आये दिन समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित होती है कि अमुक क्षेत्र में सांड़ के पटकने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सुअर के कारण बाइक सवार की दुर्घटना हो गई, इन सब पर अंकुश लगाने के लिये प्रस्ताव उचित है, अभी मा० मंत्री जी आये थे, उनके द्वारा भी कहा गया था कि आवारा जानवर पकड़े जायेंगे। कहना चाहता हूँ कि केवल आदेश मात्र से आवारा जानवर नही पकड़े जा सकेंगे, इसके प्रति सार्थक कार्यवाही भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नगर निगम द्वारा जब कभी आवारा जानवरों को पकड़ने के लिये अभियान में पुलिस की माँग की जाती है, तो प्रशासन द्वारा पुलिस उपलब्ध नही कराई जाती है। कहावत है कि यदि सीधी उंगली से घी न निकले, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, परन्तु मेरा मानना है कि जब घी टेढ़ी उंगली से भी न निकले तो घी को गरम कर देना चाहिये। यदि प्रशासन नगर निगम को पुलिस नही देता है या अन्य अभियानों में पुलिस बल नही उपलब्ध कराई जाती, तो नगर निगम द्वारा भी जिला प्रशासन के कार्यालयों एवं उनके आवासों के आस-पास सफाई बन्द कर देनी चाहिये। क्या कारण है कि कुछ त्योहारों में नापाक जानवर गायब कर दिये जाते है, परन्तु बाद में वही जानवर पुनः सड़कों पर आ जाते है।

श्री महेन्द्र शुक्ल ने कहा कि नगर निगम से अभियान चलते समय ही सुअर पालकों को कैटिल कैचिंग विभाग द्वारा सतर्क कर दिया जाता है, जिससे अभियान सफल नही हो पाता है। ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

श्री मनीष शर्मा ने कहा कि पूर्व की भाँति नगर निगम द्वारा शहर में जानवरों की लाइसेंसिंग व्यवस्था निर्धारित की जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श कर लिया जाये तथा इस प्रस्ताव के सापेक्ष जिला प्रशासन द्वारा असहयोग की स्थिति में जिला प्रशासन की समस्त सेवायें बाधित कर दी जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि शांति सौहार्द की भावना से प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाये और एकमत से निर्णय लिया जाये। रही जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के सहयोग की बात उसी परिप्रेक्ष्य में सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में चकेरी थाने के पास बन रहे शुलभ शौचालय में पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जे करने के दृष्टिगत अनावश्यक तूल देते हुये उसके निर्माण को रूकवा दिया गया है। अतः सदन के माध्यम से जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ कि जब-जब नगर निगम द्वारा कोई अभियान यथा

ह0...महापौर

अतिक्रमण हटाने एवं आवारा जानवर पकड़ने, चलाया जाये उसमें नगर निगम को पुलिस बल की माँग पर पुलिस बल उपलब्ध कराते हुये सहयोग प्रदान किया जाये।

..... **नगर निगम द्वारा कोई अभियान यथा अतिक्रमण हटाने एवं आवारा जानवर पकड़ने, चलाया जाये, तो जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों द्वारा उसमें नगर निगम को पुलिस बल की माँग पर पुलिस बल उपलब्ध कराते हुये सहयोग प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से आज दिनांक-01-09-2016 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना-अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... **सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक-01-09-2016 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।**

अन्त में अध्यक्ष द्वारा सधन्यवाद् बैठक का समापन किया गया।

ह०.....

(जगतवीर सिंह द्रोण)

महापौर/अध्यक्ष

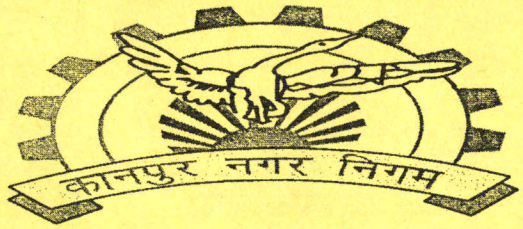

कानपुर नगर निगम

मा0 नगर निगम (सदन) की सम्पन्न हुई,बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 01.09.2016 (गुरूवार)

अपरान्ह 01.00 बजे

स्थानः नगर निगम सदन सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/139 /सचिव (न.नि.)/16–17

दिनांक : 16.09.16

सेवामें

श्री/श्रीमती/सुश्री.....,

मा0 पार्षद वार्ड सं0...../मा0 नाम निर्दिष्ट सदस्य/मा0 पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 01.09.2016 दिन गुरूवार अपरान्ह 01.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 37 तक।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–01-09-2016 दिन गुरूवार को अपरान्ह 01:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर/अध्यक्ष**	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य	श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्री राजेन्द्र प्रसाद कटियार	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य	श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना साहू	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रामजानकी यादव	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती शाइमा	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य	श्रीमती उत्तम	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू"	पार्षद/सदस्य	श्री राम कुमार पाल	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद/सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती मीनू गुप्ता	पार्षद/सदस्य
श्री गौरव जैन	पार्षद/सदस्य	श्री चेतन सिंह	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री आबिद अली	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य	श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री सलीम बेग	पार्षद/सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती गीता देवी	पार्षद/सदस्य	श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य	श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य	श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद/सदस्य
श्री हरिश्चन्द्र	पार्षद/सदस्य	श्री राज किशोर	पार्षद/सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य	श्री कोशल कुमार मिश्रा	पार्षद/सदस्य

ह0...महापौर

श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद / सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद / सदस्य
श्री कमल शुक्ल "बेबी"	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल कलाम	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सोनी पाल	पार्षद / सदस्य
श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती मधु	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री रामौतार प्रजापति	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
डा0 नीना अवस्थी	पार्षद / सदस्य
श्री सुरजीत सचान	पार्षद / सदस्य
श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद / सदस्य
श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री विनय अग्रवाल	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद / सदस्य
श्री आदर्श	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद / सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद / सदस्य
श्री पंकज सचान	पार्षद / सदस्य
श्री सारिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद / सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद / सदस्य
श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती प्रवेश कुमारी	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 आरिफ	पार्षद / सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रेनू सब्बरवाल	पार्षद / सदस्य
श्री आमोद	पार्षद / सदस्य

ह0...महापौर

श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद / सदस्य
श्री मन्नू रहमान	पार्षद / सदस्य
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
मो0 इरफान खान	पार्षद / सदस्य

नाम निर्दिष्ट सदस्य

श्री शैलेन्द्र मिश्रा
श्री अब्दुल वासिद
श्री शशीभाल शुक्ला
श्री चन्द शेखर यादव
श्री मुन्सिफ अली रिजवी
श्री बलवन्त सिंह

अधिकारीगण

श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
श्री विनोद कुमार गुप्ता	अपर नगर आयुक्त
श्री अजय प्रताप सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
श्री पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री मनीष कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता
श्री रमेश कुमार कर्दम	अधिशाषी अभियन्ता वि. / याँ
श्री आर0पी0सिंह सलूजा	महाप्रबन्धक (जलकल)
डॉ0 ए0के0सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
श्री ए0के0 शुक्ला	वित्त अधिकारी (जलकल)

अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सदस्यों से कहा कि मा० कार्यकारिणी समिति से स्वीकृत सीमा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव, जो नगर विकास विभाग उ०प्र० शासन को भेजा जाना है पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुये स्वीकृति अपेक्षित है। तद्नुसार अपने-अपने विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

प्रस्ताव संख्याः-169

नगर विकास अनुभाग-7 के पत्र सं-1099 / नौ-7-14--14सी0बी0 / 2012 दिनांक 26.09.2014, पत्र सं0-418सी0एम / नौ-7-14-87सी0एम0 / 2014 दिनांक 26 अप्रैल, 2016 एवं पत्र सं0-36यू0ओ0 / 9-7-16 दिनांक 14 जुलाई, 2016 के क्रम में वर्तमान कानपुर नगर निगम के सीमा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव हेतु नगर आयुक्त के पत्र सं0-डी / 177 / न0आ0 / मु0अभि0 / 16-17 दिनांक 20.07.16 के सम्बन्ध में प्रस्ताव का प्रेषण।

ह0...महापौर

–: प्रस्ताव :–

नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–3 एवं भारत के संविधान के अध्याय–9 अनुच्छेद–243य के अन्तर्गत सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.2016 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप कानपुर से झांसी की ओर जाने वाली रेलवे लाइन से उत्तर की ओर बिठूर नगर पंचायत तक के ग्रामों को सम्मिलित किया गया है।

नगर निगम सीमा के विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिसमें सम्मिलित होने वाले गॉवों का विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है।

क.सं.	विकास खण्ड का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत	सम्मिलित ग्राम पंचायत में राजस्व ग्राम	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल (हे0मे0) जनगणना निदेशालय के अनुसार	ग्राम पंचायत/राजस्व गॉव में उपलब्ध खसरा/गाटा संख्या	ग्राम का कृषि क्षेत्र	ग्राम का अकृषि क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	कल्यानपुर	रमेल नगर	रमेल बांगर	2626	48.282	155	24.3770	23.905
2			रमेल कछार		265.820	163	170.4800	95.340
3	कल्यानुपर	हींगपुर बांगर	हरीपुर बांगर	1914	52.195	114	44.4883	7.707
4			हरीपुर कछार		71.164	270	60.1450	11.019
5			पैगूपुर बांगर		39.177	77	31.7940	7.383
6			पैगूपुर कछार		35.245	174	30.6360	4.609
7	कल्यानुपर	बरहट बांगर	बरहट बांगर	1252	126.973	387	98.6270	28.346
8			बरहट कछार	1080	150.652	539	132.3790	18.273

ह0...महापौर

9	कल्यानुपर	हृदयपुर	हृदयपुर	908	25.494	96	21.5700	3.924
10			चिरान	1250	66.095	233	61.0710	5.024
11	कल्यानपुर	सिंहपुर कछार	सिंहपुर कछार	3682	345.996	968	309.8397	36.156
12	कल्यानपुर	ईश्वरीगंज	ईश्वरीगंज	780	113.278	414	93.2680	20.010
13			पृथ्वीपुर	592	269.460	50	30.7000	238.760
14			खुशहाल गंज	585	305.910	92	1.7600	304.150
15	कल्यानपुर	बैकुण्ठपुर	बैकुण्ठपुर	3901	377.369	1107	327.2060	50.163
16			फत्तेहपुर उत्तर		51.655	183	48.9450	2.710
17	कल्यानपुर	प्रतापपुर हरी	प्रतापपुर हरी	2426	132.123	439	117.1280	14.995
18			गम्भीरपुर कछार		186.740	502	157.8250	28.915
19	कल्यानपुर	हिन्दूपुर	हिन्दूपुर	2945	222.545	597	112.8970	109.648
20	कल्यानपुर	सम्भरपुर	सम्भपुर	1194	92.446	367	92.4455	0.000
21			गंगपुर चकबदा		43.456	115	39.2630	4.193
22	कल्यानपुर	बगदौधी बांगर	बगदौधी बॉगर	9969	319.013	1245	267.8630	51.150
23	कल्यानपुर	परगही बांगर	परगही बांगर	2231	155.990	377	124.8640	31.126
24			बगदौधी कछार		364.528	1486	314.2146	50.313
25	कल्यानपुर	कुरसौली	कुरसौली	1099	98.378	311	89.3770	9.001
26	कल्यानपुर	म्कसूदाबाद	मकसूदाबाद	3928	368.703	714	208.4120	160.291
27	कल्यानपुर	टिकरी कानपुर	टिकरी कानपुर	3471	322.603	637	245.5754	77.028
28	कल्यानपुर	नौरंगाबाद	नौरंगाबाद	2246	82.304	198	56.2330	26.071

ह0...महापौर

29	कल्यानपुर	लोहार खेडा	लोहार खेडा		88.592	206	68.0890	20.503
30	कल्यानपुर	बहेडा	बहेडा	2495	224.213	395	168.1940	56.019
31	कल्यानपुर	नसेनिया	नसेनिया		146.729	323	117.4740	29.255
32	कल्यानपुर	पनका बहादुर नगर	पनका बहादुर नगर	3244	142.767	287	122.3610	20.406
33			छींतेपुर		101.461	185	87.8090	13.652
34	कल्यानपुर	भौंती प्रतापपुर	भौंती प्रतापपुर	6034	392.786	1371	328.3640	64.422
35	कल्यानपुर	भौंती खेडा	भौंती खेडा	1441	110.862	418	97.6920	13.170
36	कल्यानपुर	सचेण्डी	सचेण्डी उर्फ सचेडी	19424	1292.084	1984	1292.0490	0.0350
37	कल्यानपुर	रामपुर भीमसेन	रामपुर भीमसेन	7359	658.872	1120	497.4009	161.471
38	कल्यानपुर	गढ़ी कानपुर	गढ़ी कानपुर	2028	186.722	389	162.4166	24.305
39			सुजानपुर		61.427	120	54.3950	7.032
40	कल्यानपुर	प्करनपुर	पकरनपुर	869	28.078	102	23.4570	4.621
41	कल्यानपुर	गजीपुर	गाजीपुर	1010	65.345	95	56.7200	8.625
42	कल्यानपुर	ळीरानगर	हीरानगर	1500	70.160	128	22.0100	6.0102
43	कल्यानपुर	मन्धना	मन्धना	5728	118.000	178	47.202	70.8000
44	कल्यानपुर	नारामऊ कछार	नारामऊ कछार	1985	516.200	621	361.3400	154.860
45	कल्यानपुर	लोढी(लोधकपुर)	लोढी(लोधकपुर)	1488	42.900	233	35.8400	7.060
46	कल्यानपुर	प्रेम चक गोविन्दपुर	प्रेम चक गोविन्दपुर	2245	53.990	326	35.0935	18.8965
47	कल्यानपुर	भैलामऊ	भैलामऊ	2322	180.012	510	163.2860	16.726

ह0...महापौर

48	कल्यानपर	प्रतापपुर सरसई	प्रतापपुर सरसई	3348	112.930	205	101.4020	11.528
49	कल्यानपर	सिंहपुर कठार	सिंहपुर कठार		182.641	279	88.3683	94.273
50	चौबेपुर	सण्डीला	सण्डीला	1602	150.124	454	126.8440	23.280
51	चौबेपुर	शादीपुर	शादीपुर	1945	131.904	462	108.3631	23.541
52	चौबेपुर	पारा प्रतापपुर	पारा प्रतापपुर	2180	134.510	366	107.2730	27.237
53	चौबेपुर	बिरितियान बिठूर	बिरितियान बिठूर	2897	37.078	115	23.9010	13.177
54			लक्ष्मणपुर तिवरियान		70.908	293	68.5100	2.398
55			लक्ष्मणपुर मिश्रियान	1852	123.927	509	101.1900	22.737
56	चौबेपुर	कुकरादेव	कुकरादेव	1568	89.359	202	53.8240	35.535
57	चौबेपुर	बनी	बनी	2458	374.863	780	282.7320	92.131

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि मेरे द्वारा सीमा विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी माँगी गई थी, जिसमें पत्र के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया कि इससे पूर्व वर्ष-1959 में सीमा विस्तार किया गया था। प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय जनता के लिये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी पश्चिम में कल्यानपुर, पूर्व में जाजमऊ तथा दक्षिण में नौबस्ता हंसपुरम् की तरफ न तो सीवर लाईन डाली गई है और न ही किसी प्रकार की अवस्थापना सुविधायें मुहैया कराई गई है। जब पूर्व के विस्तार वाले क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधायें नगर निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, तो वर्तमान के सीमा विस्तार वाला प्रस्ताव औचित्यहीन है। नगर निगम में संसाधनों की कमी है। मार्गप्रकश विभाग को ही ले जहाँ समुचित मानवबल नही है। प्रत्येक वार्ड में 50 लाईनमैन होने चाहिये, जबकि उसके सापेक्ष 09 लाईनमैन है। कांग्रेस दल की तरफ से मैं अपना सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शासन की क्या मंशा है मुझे नही मालूम, परन्तु इस प्रस्ताव को उ०प्र० शासन को वापस भेज दिया जाये।

ह0...महापौर

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि 29 गाँव सीमा विस्तार वाले प्रस्ताव में सम्मिलित नही किये गये है। दिनांक-25-07-2016 की मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी मेरे द्वारा जानकारी चाही गई थी कि जो क्षेत्र इसमें सम्मिलित किये जा रहे है, उसके आय-व्यय के आंकलन को बताया जाये, जो इस प्रस्ताव में नही दर्शाया गया है। अनाधिकृत क्षेत्र प्राइवेट कालोनियों में अभी कोई भी निर्णय शासन द्वारा नही लिया गया है, इसलिये इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा मत है कि नगर निगम सीमा में कर की परिधि से बाहर अर्थात् छूटे हुये भवनों को कर की परिधि में लाते हुये नगर निगम की आय बढ़ाई जाये। बिना किसी योजना के जिन 57 गाँवों को सम्मिलित किया जाना है, वह निरर्थक है। अतः प्रस्ताव शासन को वापस किया जाना चाहिये। क्योंकि न ही यह गाँव ग्राम समाज के रहेंगे और न ही नगर निगम से लाभान्वित होंगे। मेरी राय से सीमा विस्तार में क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्शाया गया है, जबकि उसे चिन्हांकन करते हुये कि०मी० में दर्शाया जाना चाहिये। शासनादेश कहता है कि क्रमवार गाटा संख्या सीमा को दर्शाया जाना चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि आय-व्यय का ब्योरा दर्शाते हुये पुनः अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर विचार किया जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव के कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिलाया जाये। पहला कर्मचारियों की कमी एवं संसाधनों के अभाव के दृष्टिगत योजना में किस प्रकार की प्रस्तावना तैयार की गई है ? जन सुविधाओं में आने वाला व्यय तथा आय कितनी होगी ? समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर में उल्लिखित किया गया है कि सीमा विस्तार नही किया जायेगा इस पर भी क्या राय है ? यदि पंचायत सहमत नही है तो उसे नगर निगम सीमा में सम्मिलित नही किया जा सकता है इस पर भी विचार विमर्श किया जाये। यह भी सत्य है कि नगर निगम की सीमा आज नही तो कल बढ़ेगी, परन्तु नगर निगम मेरे द्वारा वर्णित बिन्दुओं पर भी विचार करें।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने बताया कि मा० विधायक द्वारा बताया गया है कि मा० मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि सीमा विस्तार स्थगित कर दिया गया है। जब नगर निगम द्वारा 110 वार्डो का समुचित विकास नही कराया जा रहा है, तो सीमा विस्तार में सम्मिलित गाँवों की विकास योजना क्या होगी, इस पर भी विचार कर लिया जाये। अतः उक्त कथन के सापेक्ष प्रस्ताव शासन को वापस भेज दिया जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि सीमा विस्तार के दृष्टिगत विस्तारित क्षेत्र का आंकलन करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना एवं तद्नुसार संसाधनों पर भी विचार कर लिया जाये।

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार ने कहा कि मैं भी बेबी भाई के कथन से सहमत हूँ कि मा० विधायक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रेषित पत्र को निरस्त कर दिया गया है। हम सभी पार्षदों के मन में यह भी आशंका है कि सीमा विस्तार वाले गाँवों को सम्मिलित किये जाने से अधिकारों में कटौती न कर ली जाये। कानपुर नगर की सीमा तो सचेण्डी, सरसौल, काकूपुर तक मानी जाती है। क्या इन सभी गाँवों को भी

ह0...महापौर

नगर निगम सीमा में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि किया जायेगा तो सीवर/सफाई कर्मियों एवं अन्य सुविधाओं को मुहैया कराने के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाये।

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ क्योंकि पूर्व से नगर निगम सीमा में सम्मिलित वार्ड-10 चकेरी क्षेत्र से निर्वाचित श्री संजीत सिंह कुशवाहा सदन सभागार में अपने क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में अंग वस्त्र धारण करके आये हुये है। इससे नगर निगम स्वयं संज्ञान ले सकता है कि आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अतः अध्यक्ष महोदय मेरा अनुरोध है कि इस सदन के माध्यम से 74वाँ संविधान संसोधन लागू करवाया जाये, जिससे नगर निगम अपनी योजनाओं के प्रति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जायेगा।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि यद्यपि सीमा विस्तार में पंचायत की सहमति लिया जाना समाप्त कर दिया गया है, परन्तु समस्त गाँवों का भौतिक परीक्षण कर लिया जाये, तभी इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाये। क्योंकि जिस प्रकार जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना का सपना शहर के नागरिकों को दिखाया गया था, वह योजना फ्लाप हो गई है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अमृत योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसका भी कालान्तर में बुरा हाल होगा।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को स्पष्ट किया कि उ०प्र० शासन की मंशा है कि नगर निगम की सीमा का विस्तार किया जाये, जिससे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अनुदानों का अपेक्षित लाभ नगर निगम को मिल सके। अतः उक्त सम्भावित अनुदानों के दृष्टिगत सभी सदस्यों से सीमा विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत करने की अपेक्षा करता हूँ।

अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों की भावनाओं से प्रकट हो रहा है कि छूटे हुये गाँवों को सम्मिलित किया जाये। यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सीमा विस्तार होने पर क्षेत्रफल तो बढ़ जायेगा परन्तु वार्ड 110 ही रहेंगे। अतः सम्मिलित किये जाने वाले गाँवों से प्राप्त होने वाली राजस्व आय तथा विकास कार्य कराये जाने वाले व्यय की अनुमानित धनराशि का भी आंकलन करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

..... प्रश्नगत प्रस्ताव में वर्णित 57 गाँवों के अतिरिक्त उसके निकटवर्ती अन्य छूटे हुये गाँवों को भी सम्मिलित करते हुये सीमा विस्तार हेतु समेकित प्रस्ताव उ०प्र० शासन को भेजे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक जलकल विभाग को वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तद्नुक्रम में नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी एवं महाप्रबन्धक जलकल विभाग को मूल बजट की प्रतियों को सभी सदस्यों में वितरित करते हुये बजट के सम्बन्ध में अवगत कराने के निर्देश दिये।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–146 के अन्तर्गत नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट प्रस्तुत करते हुये आय–व्यय के तखमीनों के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया।

क्रमाक –01 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 27.04.16 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव सं0 1312 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करना :

प्रस्ताव संख्याः–170

मूल बजट
वर्ष 2016–2017
आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2014-15 तक	पुनरीक्षित 2015-16	वास्तविक आय जनवरी 2016 तक	प्रस्तावित धनराशि 2016-17
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	3	12503.66	13101.50	6754.11	13101.50
1201	Assigned revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	1.77	2.00	1.18	2.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	146.29	128.50	63.45	128.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3-4	754.11	1109.50	430.08	1289.50
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	99.09	133.00	48.54	152.00

ह0...महापौर

1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	36.43	51.00	5.03	51.00
1801	Income from Interests	1801	ब्याज से आय	5	1644.46	907.00	687.59	605.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	80.14	92.10	64.43	92.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	42811.16	30628.00	22349.99	35628.00
	TOTAL –A-		**योग (अ)**	6	**58077.10**	**46152.60**	**30404.40**	**51049.60**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
3111	Finance Commission: Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	6	1999.58	10400.00	7559.49	5600.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	11439.61	6550.00	1079.55	4050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	253.48	763.00	97.74	1076.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	106.00	0.00	31.00
	TOTAL –B-		**योग (ब)**	**7**	**13692.67**	**17823.00**	**8736.78**	**10761.00**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	7	**71769.78**	**63975.60**	**39141.18**	**61810.60**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					

ह0...महापौर

3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवाल्विंग फण्ड)	7	2312.75	6737.41	0.00	6737.41
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना प्राप्तियाँ	7-8	10915.79	11663.12	18.51	11663.12
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	8	0.00	72243.58	0.00	**72243.58**
	TOTAL –C-		योग (स)	8	**13228.54**	**90644.11**	**18.51**	**90644.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	8	**84998.31**	**154619.71**	**39159.69**	**152454.71**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	8	33141.89	47884.60	**47585.03**	32133.20
	Grand Total		महायोग	8	**118140.20**	**202204.31**	**86744.72**	**184587.91**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2014-15	पुनरीक्षित 2015-16	वास्तविक व्यय जनवरी 2016 तक	प्रस्तावित धनराशि 2016-17
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय					-
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	26001.33	30030.00	24242.04	35030.00

2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	4235.91	2261.00	914.08	2334.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-11	14934.94	21781.00	15985.50	16266.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	349.77	408.00	356.76	408.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	446.10	1692.00	606.53	1335.00
	TOTAL –D-		**योग (द)**	13	**45968.05**	**56172.00**	**42104.92**	**55373.00**
	Capital Expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ					
3111	Finance Commission	3111	वित्त आयोग	14	5133.59	11300.00	3255.95	12000.00
3111	Insfrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	5075.10	10500.00	5961.73	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	14	435.57	1364.00	84.35	1602.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	107.00	0.00	32.00
	Total –E-		**कुल योग (य)**	**15**	**10644.26**	**23275.00**	**9302.02**	**17638.00**
	TOTAL (D+E)		**योग (द+य)**	**15**	**56612.31**	**79447.00**	**51406.93**	**73011.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)					

3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	6737.41	0.00	6737.41
4121	Work in Progress under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	15	0.00	72243.58	0.00	72243.58
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	16	13248.58	11643.12	0.00	11643.12
	TOTAL –F-		**योग (र)**	**16**	**13248.58**	**90624.11**	**0.00**	**90624.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**16**	**69860.89**	**170071.11**	**51406.93**	**163635.11**
3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	16	-694.72	0.00	3190.74	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**16**	70555.61	**170071.11**	**48216.19**	**163635.11**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेषः–	16	47584.60	32133.20	38528.53	20952.80
	Grand Total		**महायोग**	**16**	**118140.20**	**202204.31**	**86744.72**	**184587.91**

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा 146 के अन्तर्गत नगर निगम का मूल बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित कुल आय रूपया 1,52,454.71 लाख व प्रारम्भिक अवशेष रूपया 32,133.20 लाख कुल रूपया 1,84,587.91 लाख के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 1,63,635.11 लाख व अन्तिम अवशेष रूपया 20,952.80 लाख कुल रूपया 1,84,587.91 लाख का है। बजट की मुख्य विशेषता निम्नवत् है :–

ह0...महापौर

आय पक्ष –

1- राजस्व आय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 46,152.60 लाख से बढ़ाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 51,049.60 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्यवित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में वृद्धि में अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है (पृष्ठ सं०–3,4,5 व 6)

2- पूँजीगत आय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 17,823.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 10,761.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से चौदहवाँ वित्त आयोग, अवस्थापना निधि व राज्य सरकार के ऋण (अन्य) में कमी के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०–6 व 7)

3- रिजर्व फण्ड जे०एन०एन०यू०आर०एम० में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 90644.11 लाख में कोई परिवर्तन न करते हुये मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 90644.11 लाख प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०–7 व 8)

व्यय पक्ष –

1- राजस्व व्यय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 56,172.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 55,373.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि में कमी होने के कारण राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य में कमी के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०–9,10,11,12 व 13)

2- पूँजीगत व्यय में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 23,275.00 लाख से घटाकर मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 17,638.00 लाख प्रस्तावित किया गया है। यह कमी मुख्य रूप से विकास प्राधिकरण योजना हस्तांतरण मद में कमी होने के अनुमान के कारण प्रस्तावित किया गया है (पृष्ठ सं०–14 व 15)

3- रिजर्व फण्ड जे०एन०एन०यू०आर०एम० में पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 में रूपया 90,624.11 लाख में कोई परिवर्तन न करते हुये मूल बजट वर्ष 2016-17 में रूपया 90,624.11 लाख प्रस्तावित किया गया है। (पृष्ठ सं०–15 व 16)

ह0...महापौर

मूल बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 मननीय सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है--

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि मूल बजट विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि दो माह पश्चात् पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया जायेगा। इस बजट को स्वीकृत कर दिया जाये, परन्तु अनुरोध करता हूँ कि मा० विधायकों द्वारा जो दबाव डालकर नगर निगम से कार्य कराये गये है, उसके प्रति भी कोई व्यवस्था निर्धारित कर दी जाये। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि मा० विधायक द्वारा संस्तुत कार्यो के यदि कार्यादेश निर्गत न किये गये हो, तो उन्हें रोक दिया जाये। इस सुझाव के साथ नगर निगम व जलकल विभाग के मूल बजट 2016-17 को स्वीकृत प्रदान करता हूँ।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि जलकल विभाग का भी बजट वितरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में सीवर सफाई में रू० 60.00 लाख दर्शाये गये थे, वर्तमान 2016-17 के मूल बजट में रू० 100.00 लाख प्रस्तावित किया गया है, जो अपर्याप्त है। अतः नगर निगम के बजट में जलकल विभाग की सीवर सफाई हेतु धन आवंटित करने हेतु संशोधन किया जाये। इस सुझाव के साथ नगर निगम व जलकल विभाग के मूल बजट 2016-17 को स्वीकृत प्रदान करता हूँ।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि नगर निगम के मूल बजट में प्रत्येक पार्षद के क्षेत्र में रू० 50-50 लाख के विकास कार्यो को कराये जाने का कोटा निर्धारित करने हेतु बजट में प्राविधान किया जाये। इस संशोधन के साथ नगर निगम व जलकल विभाग के मूल बजट 2016-17 को स्वीकृत प्रदान करता हूँ।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के मद में जो धनराशि प्राविधानित है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के 18 अरब के भारी भरकम बजट को जल निगम द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। पूर्व में मेरे द्वारा जल निगम के कार्यो के परीक्षण हेतु कमेटियों के गठन की माँग की गई थी, परन्तु अध्यक्ष महोदय आपने कहा था कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत नगर निगम को नोडल एजेन्सी बनाया गया है, उसके कार्यो की जाँच हेतु मैंने दिनांक 25-08-2014 को पत्र दिया था, दूसरा पत्र जिलाधिकारी से मिल कर 19-09-2014 को दिया था। जल निगम के घोटालों को उजागर करते हुये अवगत कराया था कि एक बार सीवर लाईन डाली जा चुकी है तो दोबारा क्यों डाली जा रही है। जलकल विभाग द्वारा जिसका भुगतान भी कर दिया गया है। नगर निगम को जल निगम कर्जदार बना देगा। वार्ड-110 की समस्या है जहाँ अलग-अलग तीन मदों से पाईप

ह0...महापौर

लाइन डाली गई है, लेकिन आज तक चालू नही हुई। नगर निगम द्वारा अवस्थापना निधि से सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र में रू० 07.00 करोड़ से तीन पानी की टंकी व चार नलकूप लगाये जा रहे है तथा 85.77 लाख रूपये से २०कि०मी० घरेलू पाइप लाईन वर्ष 2014 में अवस्थापना निधि से डाली गई, जबकि वहाँ पहले से पानी की लाइन डाली जा चुकी है, लेकिन जनता को आज तक पानी नही मिला है। वार्ड-99 में एक फिट गहराई में पी.वी.सी. की पाइप डाली जा रही है, एक लाइन चार विभागों से डाली जा रही है। विधायकों के करोड़ों के कार्य कराये जाते है, पार्षदों के कार्य कैसे होंगे ? मेरा मानना है कि केवल सपने देखे जा रहे है। अतः अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि जल निगम के कार्यो की जाँच हेतु समिति बना दी जाये, जिससे शहर का सत्यानाश न हो।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को हाजी सुहेल अहमद द्वारा दिये गये वक्तव्य पर समिति गठित करने के निर्देश प्रदान किये।

श्री गिरीश चन्द्र ने कहा कि अध्यक्ष महोदय आप एवं नगर आयुक्त की कार्य प्रणाली से मैं संतुष्ट हूँ, परन्तु विधायक एवं निचले अधिकारियों के उत्पीड़न को सहता आ रहा हूँ। अतः विकास कार्यो हेतु रू० 50-50 लाख का कोटा प्रत्येक पार्षद हेतु बजट में प्राविधानित कराया जाये।

श्री चेतन चौहान ने कहा कि विकास कार्यो हेतु रू० 50-50 लाख का कोटा तथा 50-50 हैण्डपम्प प्रत्येक पार्षद हेतु बजट में प्राविधानित कराये जाये।

नगर आयुक्त एवं महाप्रबन्धक जलकल के निर्देशों के क्रम में वित्त अधिकारी द्वारा जलकल विभाग, नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल बजट को प्रस्तुत करते हुये आय-व्यय के तखमीनों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

प्रस्ताव संख्याः-171

जलकल विभाग
नगर निगम, कानपुर
मूल बजट वर्ष : 2016-17

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2014-15	प्रस्तावित आय 2015-16	वास्तविक आय दिसम्बर, 2015	प्रस्तावित आय 2016-17
	अ–	राजस्व आय–				
1100201		जलकर	5090.00	6510.00	3306.30	6700.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1465.00	1660.00	1057.86	1700.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2049.00	2615.00	1105.18	2700.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	27.87	30.00	16.31	30.00
1408001		अधिभार	3.78	10.00	2.18	10.00
1401502		नियमितीकरण	11.46	15.00	4.74	15.00
1401401		विकास शुल्क	52.41	160.00	62.81	175.00
		योग राजस्व–	8699.52	11000.00	5555.38	11330.00
	ब–	असंचालन आय–				
3111301		डिपाजिट कार्य	4100.59	–	559.40	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत मद)	–	3000.00	–	3000.00

ह0...महापौर

		कुल आय–	12800.11	14000.00	6114.78	14830.00
3311001	स–	ऋण से प्राप्ति	–	–	–	–
		योग–(अ+ ब+ स)	12800.11	14000.00	6114.78	14830.00
		प्रारम्भिक अवशेष	1239.72	499.00	4332.16	1721.00
		महायोग –	14039.83	14499.00	10446.94	16551.00

जलकल विभाग
नगर निगम, कानपुर
मूल बजट वर्ष : 2016-17

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2014-15	प्रस्तावित व्यय 2015-16	वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2015	प्रस्तावित व्यय 2016-17
	अ–	संचालन व्यय –				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	6297.30	7780.00	4999.38	8245.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	294.33	3000.00	200.00	3000.00

ह0...महापौर

2303004	3	पूर्तियाँ	222.18	560.00	197.98	560.00
2308007	4	अन्य व्यय	43.70	65.00	22.30	65.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	716.84	925.00	490.92	1065.00
2208003	6	जनरल टैक्स	797.97	250.00	200.00	250.00
		योग संचालय व्यय –	8372.32	12580.00	6110.58	13185.00
	ब–	असंचालन व्यय –				
4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	–	2.00	–	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यंत्रों का क्रय	–	40.00	–	40.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	2.27	10.00	0.88	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	–	10.00	–	10.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	–	15.00	–	15.00
4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	–	30.00	0.63	30.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	–	20.00	–	20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	–	45.00	–	45.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	2.43	20.00	0.91	20.00

3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	–	6.00	–	6.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	1330.65	–	346.52	500.00
		योग असंचालन व्यय –	1335.35	198.00	348.94	698.00
		कुल योग (अ+ ब) व्यय	9707.67	12778.00	6459.52	13883.00
		अन्तिम अवशेष	4332.16	1721.00	3987.42	2668.00
		महायोग	14039.83	14499.00	10446.94	16551.00

महाप्रबन्धक जलकल ने कहा कि विभाग की राजस्व आय जलकर, सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार पर आधारित है। इन मदों में प्राप्त राजस्व आय से ही नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था का संचालन एवं रख-रखाव किया जाता है। प्राप्त राजस्व आय से कर्मचारियों का वेतन/पेंशन का भुगतान कर शेष प्राप्त राजस्व आय को आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं रख-रखाव पर व्यय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट में संचालन आय रू० 113.30 करोड़ का प्राविधान विगत कई वर्ष के प्राविधान रू० 110.00 करोड़ के विपरीत किया गया है। मदवार आय का विवरण पृष्ठ 3 पर है। संचालन व्यय जिसमें अधिष्ठान व्यय, विद्युत व्यय, रख-रखाव एवं अन्य व्यय सम्मिलित है, में रू० 131.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जो विगत वर्ष रू० 125.80 करोड़ के विपरीत है। संचालन व्यय के अन्तर्गत मदवार प्राविधानित व्यय का विवरण बजट पृष्ठ 4, 5, 6 एवं 7 पर है।

असंचालन आय में विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त राजस्व आय से न हो पाने के कारण विद्युत व्यय सीमा में पूर्व वर्षो की भाँति शासकीय अनुदान रू० 30.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। असंचालन व्यय की मद में रू० 6.98 करोड़ का प्राविधान किसी आकस्मिक स्थिति में आवश्यक सेवाओं में व्यवधान न आने पाये की दृष्टि से किया गया है। बजट में किये गये प्राविधानों का उपयोग प्राप्त राजस्व आय की सीमा में किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 का मदवार बजट प्रस्ताव कुल आय रू० 148.30 करोड़ एवं व्यय रू० 138.83 करोड़ का स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

ह0...महापौर

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि मा० विधायक की संस्तुति पर रू० 99.00 लाख की धनराशि से जलकल विभाग द्वारा कराये गये कार्यो की जाँच की माँग करता हूँ।

श्री अब्दुल कलाम ने अपने वार्ड में सीवर लाईन सफाई कराये जाने की माँग की।

श्री विप्लव रंजन भट्टाचार्य ने शिकायत करते हुये कहा कि मा० विधायक, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र, द्वारा 14वें वित्त एवं अवस्थापना निधि के कार्यो के शिलालेख में न तो मा० महापौर आपका और न ही क्षेत्रीय पार्षद का नाम अंकित है, उसे अंकित कराया जाये। मा० विधायक की संस्तुति पर नगर निगम द्वारा कार्य कराये गये है, जिनमें मा० विधायक के एजेन्ट द्वारा नगर निगम का शिलापट हटाकर विधायक का नाम अंकित कराते हुये दूसरा शिलापट लगाया गया है। इसकी जाँच कराई जाये।

नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण करायेंगे।

श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि शासनादेश के क्रम में तहबाजारी समाप्त कर दी गई है, परन्तु अराजकतत्व वसूली कर रहे है। दूर दूर से किसान अपना उत्पाद लाकर बेचते है, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल पाता है जबकि किसान खेत का भगवान है। फूलमण्डी नानाराव पार्क से हटा दी गई है, परन्तु थोड़ी दूर हटकर वहीं अलग लगाई जा रही है और वहाँ पर वसूली भी की जा रही है। इस पर निर्णय लिया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि निरीक्षण कराकर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार ने कहा कि श्री भट्टाचार्य की बात से मैं भी सहमत हूँ कि मा० विधायकों का नगर निगम में अनावश्यक हस्तक्षेप है। उदाहरण देना चाहता हूँ कि अवस्थापना निधि से मेरे क्षेत्र का एक कार्य, जिसकी निविदा मे० पारसनाथ बिल्डर्स के पक्ष में आवंटित हुई थी, उसे कथित विधायक के कहने पर निरस्त किया गया। अतः अध्यक्ष महोदय अनुरोध है कि प्रश्नगत कार्य को अवस्थापना

ह0...महापौर

निधि या अन्य निधि से कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। विधायकों द्वारा नगर निगम से कार्यो को कराये जाने हेतु अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। रबिश विभाग की गाड़ियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से चालकों द्वारा चलवाया जा रहा है, जबकि चालक के स्थान पर हेल्पर द्वारा वाहन चलाये जा रहे है। रविश विभाग में रहमान नाम के बाबू की मनमानी से ऐसे कृत्य हो रहे है। अतः एक ही विभाग में कई वर्षो से कार्यरत लिपिकों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी कराने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। तहबाजारी समाप्त है लेकिन विजय नगर सब्जी मण्डी में अवैध वसूली की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय आपको पत्र के माध्यम से शिकायत भी प्रेषित की थी। उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप द्वारा पत्र का कोई जवाब नही दिया गया।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि किसी भी पार्षद के पत्र को मेरे द्वारा रोका नही जाता है, पृष्ठांकित करते हुये सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर दिया जाता है, रही अवैध वसूली की बात तो वह पुलिस विभाग द्वारा की जाती है।

श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि ने कहा कि स्वच्छता मिशन के नाम पर सफाई अभियान जोरो पर है। प्रतिदिन सफाई के निरीक्षण हेतु नगर आयुक्त विभिन्न क्षेत्रों में निकल भी रहे है और यह भी सत्य है कि नगर निगम द्वारा सीमित संसाधनों से समुचित सफाई भी कराई जा रही है। इसके लिये अध्यक्ष महोदय एवं नगर आयुक्त धन्यवाद् के पात्र है। सफाई अभियान में आउटसोर्सिंग से रखे गये सफाई कर्मियों पर दबाव रहता है। शहर बढ़ रहा है परन्तु कूड़े अड्डे तोड़े जा रहे है, इस पर भी विचार किया जाये कि भविष्य में क्षेत्रीय कूड़ा कहाँ डम्प किया जायेगा। रविश विभाग की समस्याओं को सुना जाये।

श्री कौशल कुमार मिश्रा ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि मेरे वार्ड में 1000 पेड़ लगाये गये थे, जिनमें मात्र 100 बचे है। अतः अनुरोध है कि वृक्षारोपण में पेड़ों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाये। शिकायत है कि पार्षद के फोन अधिकारियों द्वारा सुने नही जाते है, जिससे समस्याओं का समाधान समय से नही हो पाता है।

अध्यक्ष ने उद्यान अधीक्षक श्री वी०के०सिंह से श्री कौशल कुमार मिश्रा द्वारा की गई शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया कि वृक्षारोपण के उपरान्त उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाये तथा महाप्रबन्धक जलकल विभाग से कहा कि सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों पर कार्यवाही कराई जाये और उनके फोन को भी सुना जाये।

ह0...महापौर

श्री निर्देश सिंह चौहान ने कहा कि आप द्वारा जो विकास कार्य कराये गये है, पूर्व में भी कभी इतने कार्य नही कराये गये। नगर आयुक्त द्वारा पार्षदों के कार्यो में कुताही नही बरती जा रही है, जो लोग समझते थे कि नगर निगम केवल झाड़ू लगाता है, विकास कार्यो में नगर निगम की भूमिका से नागरिक संतुष्ट है। शिकायत केवल मार्गप्रकाश विभाग से है कि इस विभाग में सामान ही उपलब्ध नही रहता, जिससे क्षेत्र के प्रकाश बिन्दु बन्द रहते है। गणेश महोत्सव प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय अनुरोध है कि इस महोत्सव में 05 सितम्बर से पूर्व क्षेत्रों में मार्गप्रकाश की समुचित व्यवस्था कराने हेतु 02-02 सोडियम लाइट उपलब्ध कराई जाये। खुले चेम्बरों में ढक्कन लगवा दिये जाये तथा खराब हैण्डपम्प ठीक करा दिये जाये।

नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि गणेश महोत्सव के पूर्व प्रकाश बिन्दु चालू करवा दिये जायेंगे।

श्रीमती रीता शास्त्री ने कहा कि मेरे द्वारा दिनांक-14-08-2016 को प्रस्ताव संख्या-221 दिया गया था कि किदवई नगर स्थित म्यूजिकल फाउन्टेन या तो चालू कराया जाये, या बड़े पार्क के रूप में विकसित करते हुये किसी संस्था को संचालन हेतु गोद दे दिया जाये। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या-220 में किदवई नगर साइड नं०-1 स्थित कमेटी हॉल में अवैध कब्जा है, शिकायत करने पर कहा जाता है कि श्रम विभाग की जमीन है, तो रतनलाल स्टेडियम भी तो श्रम विभाग की जमीन पर है, उस पर क्यों कार्य कराये जा रहे है। मेरे वार्ड में सीवर सफाई नायक सेवानिवृत्त हो गया है, परन्तु किसी दूसरे को नियुक्त नही किया गया है। डम्प से कूड़ा उठाने हेतु सफाई गाड़ी भेजी जाये तथा वार्ड में सीवर समस्या का समाधान कराया जाये।

अध्यक्ष ने महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित किया कि प्रश्नगत समस्या का समाधान कर दिया जाये तथा विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि जिस क्षेत्र में जिस पार्षद की शिकायत के निस्तारण हेतु कर्मियों को भेजा जाये उसकी सूचना क्षेत्रीय पार्षद को अवश्य दी जाये, जिससे समस्या के समाधान के साथ-साथ क्रास चेकिंग भी हो जायेगी।

श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय ने निराला नगर स्थित पार्क में कार्यो की अनियमितता के सम्बन्ध में अवर अभियन्ता की शिकायत की। घटिया निर्माण सामग्री के कारण पार्क की दीवार बनने के पश्चात् पहली ही बरसात में गिर गई, परन्तु ठेकेदार का भुगतान कर दिया गया है। नगर आयुक्त से सम्बन्धित की शिकायत भी की गई, जिस पर की गई जाँच की रिपोर्ट भी बदल दी गई। इससे ऐसा लगता है कि सभी अधिकारी

ह0...महापौर

अवर अभियन्ता से मिले हुये है। पार्क के कार्य में लगभग रू० 5.00 लाख का घोटाला हुआ है, जिसे सम्बन्धित जे०ई० से वसूला जाये और शासन को अवर अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही हेतु लिखा जाये।

अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता को पार्षद द्वारा की गई शिकायत पर अभियन्त्रण का पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि प्रश्नगत पार्क के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि माह जनवरी में मैंने कानपुर नगर निगम में अपनी योगदान आख्या दी थी, तत्समय अभियन्त्रण खण्ड-5 के अधिशाषी अभियन्ता के रूप में श्री आर०सी०श्रीवास्तव कार्यरत थे, जिनके द्वारा भुगतान की संस्तुति की गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा जाँच समिति गठित करते हुये श्री अशोक कुमार भाटी, जो वर्तमान में अभियन्त्रण खण्ड-5 के अधिशाषी अभियन्ता है उनसे वित्तीय दायित्व का निर्धारण करते हुये पत्रावली प्रेषित की गई है तथा ठेकेदार की कार्य के प्रति जमा जमानती धनराशि को रोकने हेतु भी निर्देशित किया है। प्रश्नगत कार्य की तकनीकि जाँच करा ली गई है तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता एवं मानक परीक्षण हेतु प्रयुक्त सामग्री का नमूना लखनऊ भेजा जा चुका है। नमूने की जाँच आख्या प्राप्त होते ही तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जब जाँच प्रक्रिया चल रही है, तो मा० पार्षद द्वारा रू० 5.00 लाख के घोटाले का आरोप कैसे लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नमूने की जाँच आख्या प्राप्त होते ही तद्नुसार शासन को भी कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा।

अध्यक्ष ने कहा कि जब जाँच हो रही है, तो श्रीमती पाण्डेय आपको भी धैर्य रखना चाहिये और जाँच आख्या की प्रतीक्षा की जानी चाहिये।

सुश्री नमिता कनौजिया ने कहा कि मेरे वार्ड में बारातशाला/जनवासा और न ही सामुदायिक केन्द्र है। अतः वार्ड में रिक्त पड़ी भूमि पर बारातशाला/जनवासा का निर्माण कराया जाये, जिससे जनता को उसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि आपके वार्ड में बारातशाला का निर्माण अवश्य होगा।

श्री आबिद अली ने कहा कि मेरे वार्ड स्थित तीन पार्को की पत्रावलियाँ लम्बित है, कृपया उन पर कार्यवाही कराई जाये। 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सीवर लाईन डालने हेतु जलकल विभाग को कहा गया था, परन्तु उस पर भी कार्यवाही सुनिश्चित नही हो सकी है।

अध्यक्ष ने उद्यान अधीक्षक श्री वी०के०सिंह को लम्बित पत्रावलियों का संज्ञान लेकर कार्यवाही कराने के निर्देश दिये।

श्री मनीष शर्मा ने कहा कि बर्रा-7 में गिर रहे जल स्तर से नागरिकों में पानी का झगड़ा होता रहता है, लगभग 200 फुट जल स्तर गिर गया है। 350 फिट की बोरिंग करवाते हुये सबमर्सिबल पम्प यदि किसी के द्वारा लगवाया जाता है, तो हैण्डपम्प अपने आप बन्द हो जाते है। जल समस्या के सम्बन्ध में भी ए.सी.एम. के साथ बैठक हुई थी। पानी की किल्लत के लिये क्षेत्रीय जनता मुझे घेरती है। अतः इस पर भी कार्यवाही कराई जाये। कानपुर विकास प्राधिकरण से रविदास कालोनी के विकास हेतु रू० 26.00 लाख की धनराशि प्रदान की गई थी, परन्तु उस पर भी कोई सुनवाई नही हो रही है। एन.एच.ए.आई. रूमा-भौंती फ्लाईओवर में लगभग 2.50 करोड़ की मार्गप्रकाश की व्यवस्था की गई थी, जिसमें आज भी मेरे वार्ड की तरफ ज्यादातर खम्भों में प्रकाश बिन्दु बन्द रहते है, जिसकी जाँच में रू० 80.00 लाख की रिकवरी भी प्रस्तावित है। मेरे वार्ड में 50 खम्भे तो लगा दिये गये, परन्तु उनमें प्रकाश बिन्दु नही लगाये गये है। सफाई के सम्बन्ध में सुझाव है कि सफाई कर्मियों को लोहा गाड़ी के स्थान पर रिक्शा गाड़ी दिलवा दी जाये। तात्याटोपे नगर योजना का हस्तान्तरण कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जिसमें विकास कार्य भी कराये जा चुके है, परन्तु विगत वर्षो से मैं पत्र लिखकर जानकारी माँग रहा हूँ कि प्रश्नगत योजना के हस्तान्तरण में कानपुर विकास प्राधिकरण से कितना धन मिला था तथा विकास कार्यो में कितनी धनराशि व्यय हुई और कितना धन शेष है, परन्तु जानकारी उपलब्ध नही कराई जा रही है। वार्ड में पार्क बने है, परन्तु पौधे नही लगे है। अध्यक्ष महोदय सत्य है कि आपके कार्यकाल में जो कार्य हुये वह मील का पत्थर है, जो इतिहास में अंकित हो गया है।

अध्यक्ष ने श्री मनीष शर्मा द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित को तद्नुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

श्रीमती सोनी पाल ने कहा कि मेरे वार्ड-52 में कूड़ा अड्डा न होने के कारण पार्क में कूड़ा जमा किया जाता है। अतः अनुरोध है कि कूड़ाघर बनवाया जाये।

अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता को तद्नुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

श्री अतुल त्रिपाठी ने कहा कि महोदय 98 प्रतिशत पार्षदों की समस्या मा० विधायकों से है। उनके द्वारा लगातार अनावश्यक दबाव/प्रभाव डालकर कार्य करा लिये जाते है। मा० विधायक नगर निगम के प्रति कितने जिम्मेदार है, आज की बैठक से स्पष्ट हो गया है कि नगर निगम के प्रति कोई भी विधायक संवेदनशील नही है। नगर निगम की समस्याओं को शासन स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु इन्हें उत्तर प्रदेश शासन ने प्रत्येक नगर निगम में पदेन सदस्य नामित किया है, परन्तु आचरण अपेक्षा के विपरीत है। उदाहरण देना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र श्री संजीव दरियावादी ने 119/12 नसीमाबाद में 01 सबमर्सिबल पम्प लगवाया था, जिसकी रंगाई-पुताई करवाकर वर्तमान विधायक द्वारा जलकल विभाग से भुगतान करा दिया गया है। 88/450 से 88/452 पाइप लाईन का लोकार्पण किया गया, जबकि यही लाईन वर्ष 2012 में जल निगम द्वारा डाली गई थी, परन्तु इसका भी भुगतान नगर निगम से हो गया है। हलीम कॉलेज चौराहे में सीवर लाईन डाली जानी थी, जो आज तक नही पड़ी है, परन्तु मा० विधायक के पत्र पर भुगतान कर दिया गया है। एक ही कार्य के दो-दो बार भुगतान किये जा रहे है। कार्य पार्षदों द्वारा कराये जा रहे है और पत्थर विधायक का लगवाया जा रहा है। अतः अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि इन माननीयों के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने हेतु आप खड़े हो, हम सभी पार्षद आपके साथ है, दलगत भावना से उठकर हम सभी विरोध करेंगे।

अध्यक्ष ने की गई शिकायत के संज्ञान हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि निरीक्षण कर तद्नुसार आख्या प्रेषित की जाये।

श्री कमल शुक्ल 'बेबी' ने कहा कि मा० महापौर, जो सदन में अध्यक्ष के रूप में पीठासीन है, के प्रति कहना चाहता हूँ कि किसी भी दल की पत्रावली किसी भी विभाग से इनके पास स्वीकृतार्थ प्रेषित की जाती है, वह पत्रावली इनके यहाँ 15 मिनट से ज्यादा नही रोकी जाती है। इससे अध्यक्ष महोदय की मंशा स्पष्ट है, कि नगर निगम के कार्यो तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यो को कराये जाने में इनकी विशेष रूचि रहती है। अतः अपेक्षा है कि नगर निगम के अधिकारी भी अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे। सफाई के क्षेत्र में नगर आयुक्त विशेष जागरूक है। इसी परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देना चाहता हूँ कि सफाई कर्मी व सफाई नायक तो ठीक है, परन्तु इंसपेक्टर दस्तूरी माँगता है, यदि दस्तूरी ठीक कर दी जाये तो सफाई हेतु किसी एन.जी.ओ. की जरूरत नही पड़ेगी। अतः जे.एस.ओ. और इंसपेक्टर पर कार्यवाही की जाये। जोनल की बैठक प्रत्येक 15 दिन में कराई जाये तथा जोनल अधिकारियों को रू० 01.00 लाख का वित्तीय अधिकार भी दिया जाये, जिससे आकस्मिक कार्यो को तत्काल कराये जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। कानपुर नगर में 07

ह0...महापौर

विधायक, 02 सांसद है, जो नगर निगम के पदेन सदस्य भी है, यदि अपनी-अपनी निधि नगर निगम को दे दे तो नगर निगम स्वयमेव विकसित हो जायेगा। सदन में ए.सी. लगवा दिया जाये।

श्रीमती लाली गुप्ता ने कहा कि मेरा वार्ड विकसित नही है और न ही 05 हैण्डपम्प लगवाये गये। आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही कराई जाये।

श्रीमती पूनम राजपूत ने कहा कि वार्ड के टूटे चेम्बरों के ढक्कन लगवाये जाये। टूटी सीवर लाईन ठीक कराई जाये, डिवाइडर पर लगा टावर टेढ़ा हो गया है, उसे ठीक कराया जाये। वार्ड में 05 हाईमास्क टावर है, जिनमें दो में लाईट लगवाई गई है, अन्य में भी लगवाई जाये तथा गलीपिट ठीक कराई जाये। अध्यक्ष महोदय शिकायतों पर नगर निगम द्वारा मात्र आश्वासन दिया जाता है, कार्यवाही नही कराई जाती। अतः ऐसी व्यवस्था निर्धारित की जाये कि शिकायतों का तत्काल समाधान हो सके।

श्री आलोक शुक्ल ने कहा कि क्षेत्र में व्यक्तित्व प्रभावित न हो, ऐसा तभी हो सकता है जब क्षेत्रीय पार्षद द्वारा की गई शिकायत का नगर निगम द्वारा त्वरित निस्तारण करा दिया जाये, परन्तु होता इसके विपरीत है। सफाई के सम्बन्ध में जब हाजिरी रजिस्टर में नीचे अनुपस्थित दर्ज हो जाता है तो मुख्यालय में ठीक कैसे हो जाती है, इसका भी परीक्षण कराया जाये। वार्ड-56 रतनलाल नगर सबसे ज्यादा हाउस टैक्स देने वाला वार्ड है, जहाँ के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। वार्ड में तीन कूड़े घर है एक कूड़ा घर जो अस्पताल के पास है, स्वच्छता एवं संक्रमण के दृष्टिगत उसे हटा दिया जाये तो क्षेत्र के कूड़ा में भी कोई अन्तर नही पड़ेगा।

अध्यक्ष ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि निरीक्षण कर इसे स्वयं देख लें।

श्री आलोक शुक्ल ने पुनः अपना वक्तव्य देते हुये कहा कि जल निगम या अन्य एजेन्सी द्वारा क्षेत्र में की गई रोड कटिंग की धनराशि को उसी क्षेत्र की सड़क पुर्नस्थापना में प्रयोग किया जाये। अध्यक्ष महोदय अनुरोध है कि क्षेत्रीय नागरिकों को अंतिम संस्कार हेतु 05 कि०मी० दूर जाना पड़ता है। अतः एक क्रियाघर तथा एक कमरा (कपड़ा बदलने हेतु) बनवाने हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि आपके संरक्षण में बड़े-बड़े कार्य हो रहे है, परन्तु छोटे-छोटे कार्य विभाग द्वारा न कराये जाने से नगर निगम की बदनामी होती है। 18 जून को मेरे द्वारा महाप्रबन्धक जलकल को चेम्बर में ढक्कन लगाये जाने हेतु पत्र दिया गया था, परन्तु ढक्कन

ह0...महापौर

नही लगवाया गया, जबकि आये दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है कि सीवर चेम्बर में बच्ची गिरकर मर गई। क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है, परन्तु निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दुरूस्त नही किया जाता है। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु छोटी-छोटी खराबी, यथा पाइप बदलना, चेन व वासर ठीक करना जलकल विभाग द्वारा ध्यान दे दिया जाये तो उचित होगा। जलकल विभाग में अधिशाषी अभियन्ता की कमी है, पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है। आवारा जानवरों को पकड़ने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, परन्तु चट्टे संचालकों को चिन्हित कराते हुये कार्यवाही की जाये, क्योंकि सीवर को चोंक करने एवं गन्दगी फैलाने का प्रमुख कारण चट्टे ही है। पालतू जानवरों पर भी ध्यान दिया जाना चाहियें, कि जो लोग गाय पालते है, परन्तु खूँटा गाड़कर उसे सड़क पर बाँधते है, ऐसे लोगों पर दोगुना जुर्माना लगाया जाये। बजट में प्रत्येक पार्षद को वार्ड में विकास कार्य हेतु रू० 50-50 लाख की धनराशि का प्राविधान किया जाये।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक जलकल को चेम्बर ठीक कराने, सीवर सफाई कराने हेतु निर्देशित किया।

श्री मो० शमीम आजाद ने कहा कि कानपुर शहर में डेंगू, चिकुनगुनिया के मरीज बढ़ रहे है, इसी के दृष्टिगत मंगलवार को, जो नगर निगम द्वारा फागिंग हेतु हैण्ड फागिंग मशीन एवं अन्य उपकरणों के माध्यम से दवा छिड़काव का अभियान चलाया गया है, वह सराहनीय है। स्वाइन फ्लू का कारण सुअर है। अतः सुअर पकड़ने का अभियान भी चलाया जाये। सीवर की समस्या लगभग हर क्षेत्र में है, परन्तु इसी समस्या को वार्ड-108 के पार्षद श्री इरफान खान ने उठाया तो जलकल विभाग द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन दर्ज करा दिया गया, उसे हटाया जाये। सभी सदस्य विधायकों से पीड़ित है, परन्तु मैं विधायक पद के प्रत्याशी से पीड़ित हूँ, जिनके द्वारा जगह-जगह कार्यो के पत्थर लगवाये जा रहे है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय आप द्वारा जो विकास कार्य कराये गये है, उससे इतिहास कायम हुआ है।

श्री मुन्सिफ अली रिजवी ने कहा कि जनाब साहब सफाई तो बेहतर नजर आ रही है, परन्तु कूड़ा घर न होने से गन्दगी फैल रही है। अतः कूड़े घर बनवाये जाये। दलित/गरीब बस्तियों में फागिंग करवाई जाये।

श्री कैलाशनाथ पाण्डेय ने कहा कि नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रतिदिन सफाई अभियान का निरीक्षण किया जा रहा है, उससे अपेक्षित परिणाम भी मिल रहा है, परन्तु जलकल विभाग द्वारा कोई अभियान न चलाये जाने से सीवर और हैण्डपम्प की समस्यायें अधिक है। अतः अनुरोध है कि सीवर सफाई एवं हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भेजे जा रही गैंग का भी निरीक्षण कराया जाये। एक्सप्रेस रोड में पानी की लाइन डलवाई जाये तथा नाली बनवाई जाये।

ह0...महापौर

श्री राजकिशोर यादव ने कहा कि मेरे वार्ड में एक हैण्डपम्प लगाया गया है, दूसरे का बोर करके छोड़ दिया गया है। गणेश महोत्सव एवं नवरात्रि से पूर्व 15 लाईटें लगवाई जाये।

श्री आदित्य शुक्ल ने कहा कि एस.एस.पी. के निर्देश पर चकेरी थाना के पास स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनवाये जा रहे शौचालय के निर्माण को रूकवा दिया गया है। सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस पर भी उचित कार्यवाही कराई जाये। नगर निगम द्वारा पूरे कानपुर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जबकि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण व आवारा जानवरों को पकड़ने के अभियान में पुलिस प्रशासन असहयोग करता है। भैंरवघाट की भाँति अंतिम संस्कार हेतु सिद्धनाथ घाट में भी दरें निर्धारित कर दी जाये। जलभराव वाले स्थलों में सी०सी० रोड बनवाई जाये, जिससे नगर निगम की धनराशि का अपव्यय नही होगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है, परन्तु स्वीकृत दो-दो हैण्डपम्प में एक भी नही लगाया गया है। अतः क्षेत्र में जलकल के टैंकरों से जलापूर्ति कराई जाये।

श्री मदन बाबू ने कहा कि मेरा वार्ड गंगा के किनारे स्थित है। अतः गंगा के घाटों का सौन्दर्यीकरण एवं सफाई के साथ वार्ड में विकास कार्य कराये जाये।

सुश्री लक्ष्मी कनौजिया ने कहा कि जल निगम द्वारा वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण नही हो पाया है। चूँकि मेरा वार्ड ऊँचाई वाला क्षेत्र है। अतः 10 नये हैण्डपम्प लगवाये जाये व १० हैण्डपम्प रिबोर कराये जाये। वार्ड में सड़क जो 10 फुट की है, 08 फिट में कमरा बन जाने से मात्र 02 फुट की सड़क रह गई है। सड़कों पर रैम्प व सीढ़ियाँ बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। गलीपिट बन्द पड़े है, सफाई नही हो पा रही है। विशेष रूप से माँग करती हूँ कि मरे हुये जानवरों को उठाने के लिये एक जल्लाद की व्यवस्था कर दी जाये, तो उत्तम होगा।

श्री वीरेन्द्र शर्मा ने शिकायत करते हुये कहा कि स्वास्थ्य विभाग से मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कहा जाता है कि डाक्टर का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये। इसमें नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः इसकी कोई उचित व्यवस्था की जाये। वार्ड स्थित नालियों की सफाई नही होती है, सीवर की समस्या है। ठेकेदारों द्वारा कार्य कराये जाने के बाद स्थल पर मलवा छोड़ दिया जाता है, उसे उठवाया जाये तथा ठेकेदार से दण्ड वसूलने की कार्यवाही की जाये।

श्री रामौतार प्रजापति ने कहा कि आज की मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुये मार्गप्रकाश विभाग के लाईनमैनो की तनख्वाह में वृद्धि की जाये।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि कानपुर में कराये गये विकास की सराहना चारों तरफ हो रही है। नगर आयुक्त द्वारा सीमित संसाधनों में चलाये गये विशेष सफाई अभियान के प्रति धन्यवाद् अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि इनके कुशल नेतृत्व से नगर निगम को सही दिशा प्राप्त होगी।

श्रीमती पूनम द्विवेदी ने कहा कि मेरे वार्ड में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे बहुमंजिली इमारतों (अपार्टमेन्टों) से कंकरीट का जंगल तैयार हो रहा है, जबकि नगर निगम को हाउस टैक्स व सीवर टैक्स प्राप्त नही हो रहा है और नगर निगम संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है, जाँच कराई जाये। वार्ड में कूड़ा घर नही है, बनवाया जाये। एक साल से नलकूप बन्द पड़ा है, जबकि दूसरा बन रहा है, दिखवाया जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि हैण्डपम्प की मुख्य समस्या है, सम्बन्धित ठेकेदार का भुगतान न होना, परिणाम स्वरूप उसके द्वारा हैण्डपम्प लगाने में हीलाहवाली की जा रही है। अतः लगवाये गये हैण्डपम्पों का भुगतान भी करवाया जाये। एस.टी.पी. संचालन का निर्णय मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया था। संचालन में अनियमिततायें हो रही है तथा उसका सही ढंग से संचालन न होने से गंदा पानी गंगा में जा रहा है। एस.टी.पी. संचालन हेतु नगर निगम द्वारा रू० 50.00 लाख देने का निर्णय लिया गया, जबकि नगर निगम तीनों एस.टी.पी. का संचालन कर सकता है। अतः पार्षदों एवं अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित करते हुये कार्यो की जाँच कराई जाये। नगर निगम की खाली पड़ी भूमि में दुकान एवं भवन हेतु चिन्हांकन करते हुये क्षेत्रीय पार्षदों को दिया जाये। पार्षद जो वास्तव में कमजोर है, उनहें यात्रा भत्ते की व्यवस्था की जाये। आउटसोर्सिंग कर्मी, जो अच्छा कार्य कर रहे है, उनका दो-तीन माह से वेतन रूका हुआ है, वेतन दिलाया जाये, साथ ही जो अच्छा कार्य कर रहे है, उन्हें नगर निगम में रखा जाये।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि तत्क्रम में नगर आयुक्त से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत कराया गया कि निर्णय के अनुपालन में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती है, जिससे विलम्ब होता है।

ह0...महापौर

श्रीमती नीलम चौरसिया ने कहा कि मेरे वार्ड में के.डी.ए. द्वारा जो पाईप लाइन डाली जा रही है, उसमें पी.वी.सी. पाइप डाले जा रहे है, जबकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत पाइप पड़ चुके है, इसकी जाँच कराई जाये।

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा ने कहा कि मेरे वार्ड में न 02 हैण्डपम्प लगे, न 05 रिबोर हुये, न लाईटे लगवाई गई। अतः समस्या का शीघ्र समाधान कराया जाये। विशेष रूप से ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ कि नानाराव तरणताल, जिसका उद्धार नगर आयुक्त महोदय आप द्वारा कराया गया था, परन्तु बन्द पड़ा है। इसके संचालन हेतु दो कोच पुरूष, दो स्त्री, फिल्टरेशन प्लान्ट आपरेटर एक, चार लाइफ गार्ड, चार सेक्शन स्वीपर आपरेटर, पाँच मीटर प्लेटफार्म डाइविंग बोर्ड, दो स्प्रिंग बोर्ड ड्यूरोफ्लक्स होने चाहिये। अतः तद्नुसार संचालन हेतु इनकी व्यवस्था की जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि मेरे जोनल अभियन्ता के पास इतना कार्यभार है कि वह अपने जोन मे ही नही बैठ पाते है और न ही उनसे सम्पर्क हो पाता है। अतः इसके दृष्टिगत क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कराया जाये। रामलीला सवारी मार्ग का 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्माण कराया जाये। नामान्तरण प्रस्तावों पर शीघ्र आख्या प्राप्त की जाये। लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

श्री अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरे वार्ड-50 में बरातशाला के निर्माण हेतु आंगणन नही बनाया जा रहा है। सीवर लाईन की सफाई तथा क्षतिग्रस्त चेम्बर ठीक कराये जाये।

श्री धर्मनाथ मिश्र ने कहा कि मेरे वार्ड-75 की अनेक समस्यायें है, जिनसे सम्बन्धित पत्रों पर आपने आदेश भी किये है, परन्तु अधिकारियों द्वारा अनुपालन नही किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में सीवर मुख्य समस्या है, जिसका कारण जानवरों का चट्टा है, उसे हटवाया जाये।

अध्यक्ष ने श्री धर्मनाथ मिश्र से कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से नगर आयुक्त महोदय से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करायें, जिससे उनका समाधान किया जा सके।

श्री सुमित सरोज ने कहा कि जोनल में मासिक बैठक आयोजित होनी चाहिये तथा पूर्व की भाँति कार्य विभाजन के साथ ही बैठकों के सम्बन्ध में नगर आयुक्त से सम्पर्क स्थापित कर तद्नुसार कार्यवाही कराई जाये।

ह0...महापौर

श्री संजय लाल बाथम ने कहा कि गंगा बैराज में वाल्व के खराब होने से पानी के लीकेज के कारण सड़क खराब हो रही है, उसे ठीक करवाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष ने कहा कि सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान ले लिया गया होगा, तद्नुसार निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पर कार्यवाही कराते हुये समस्याओं का अपेक्षित निदान भी यथा समय करा दिया जाये, साथ ही विचार-विमर्श के उपरान्त पुनः सभी सदस्यों से नगर निगम एवं जलकल के वित्तीय वर्ष 2016-17 के मूल बजट की स्वीकृति अपेक्षित है। अतः अपना-अपना अभिमत व्यक्त करें।

..... ध्वनिमत से नगर निगम वित्तीय वर्ष 2016–17 के मूल बजट में आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 152454.71 तथा प्रारम्भिक अवशेष रू0 32133.20 कुल धनराशि रू0 184587.91 तथा व्यय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि रू0 163635.11 तथा अवशेष धनराशि रू0 20952.80 कुल धनराशि 184587.91 को स्वीकृत प्रदान की गई।

..... ध्वनिमत से जलकल विभाग, नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2016–17 के मूल बजट में आय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि रू0 14830.00 तथा प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रू0 1721.00 इस प्रकार कुल धनराशि 16551.00 एवं व्यय पक्ष में प्रस्तावित धनराशि रू0 13883.00 तथा अन्तिम अवशेष धनराशि रू0 2668.00 इस प्रकार कुल 16551.00 को स्वीकृत प्रदान की गई।

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
172	जोन–4 वार्ड 11 के अन्तर्गत ठठेर वाली गली, मछली बाजार वाली गली की साईड पटरी व नाली का सुधार कार्य व मकान नं0 107/79–80 की गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवंज ल निकासी हेतु भूमिगत पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	20,44,890.00	–	–	–	स्वीकृति प्रदान की गई

प्रस्ताव संख्याः–173 नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कायकम के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान के तहत कानपुर महानगर में अति व्यस्त सार्वजनिक स्थलों, बाजारों इत्यादि में महिलाओं/पुरूषों हेतु मूत्रालय (यूरिनल) बनाये जाने हेतु स्वैच्छिक संस्था एहसान फाउण्डेशन, 133/10–ए प्रथम तल रत्तूपुरवा, टी0पी0 नगर, कानपुर के पत्र दिनांक 29.03.2016 के साथ उपलब्ध करायी गयी तालिका में अंकित 78 स्थलों पर क्रमशः नवीन मार्केट ट्रीट के बगल में, परेड शिक्षा पार्क, नवीन मार्केट के सामने, सोमदत्त के सामने, चुन्नीगंज, पी0पी0एन0 मार्केट, बजरिया मार्केट, लाल इमली दो साइड, फूलबाग, नानाराव तरनताल, माल रोड, नरोना चौराहा, सागर मार्केट, हीर पैलेस के पास, पण्डित उपवन, कृष्णा टावर, हडर्ड चौराहा, लालमण्डी हास्पिटल, घण्टाघर, टाटमील, किदवई नगर, बाकरगंज, साइट नं0–1, बारादेवी, गोविन्द नगर, चावला मार्केट, सी0टी0आई0 चौराहा, इन्द्रा नगर, पॉलीटेक्निक, गुरूदेव चौराहा, फजलगंज, कानपुर विश्वविद्यालय, आई0आई0टी0, रेलवे स्टेशन कैण्ट, सेन कालेज के सामने, गीता नगर क्रासिंग, मंधना चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा, रामा डेण्टल, रावतपुर, गोल चौराहा, रेव मोती, पत्थर कालेज, रेव थ्री, एल्गिन मिल, मर्चेन्ट चेम्बर हॉल, ग्रीन पार्क, डी0ए0वी0 कालेज, गोरा कब्रिस्तान, पुलिस लाइन, जेल चौराहा, पराग डेयरी, नन्द लाल चौराहा, रतनलाल नगर चौराहा, दबौली, पनकी भौंती चौराहा, इनकम टैक्स, डेवडी घाट, मेघदूत चौराहा, कम्पनी बाग के पीछे, पडुवा/झाड़ी बाबा, मरी कम्पनी पुल, कैनाल रोड, जरीब चौकी, डिप्टी पड़ाव, चाचा नेहरू चौराहा, संगीत टाकीज, जरीब चौकी, विजय नगर, दादा नगर, पनकी एल0एम0एल0 चौराहा, बजरिया, बजरिया स्लाटर हाउस, यशोदा नगर, नौबस्ता, जाजमऊ चुंगी, गंगा बैराज, सचान गेस्ट हाउस, लाल बंगला एवं रामादेवी में पी0पी0पी0 पद्धति पर मूत्रालय निर्माण का कार्य स्वच्छता की दृष्टि से कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

कार्य को जनहित में कराये जाने की दृष्टि से उपरोक्तानुसार महिलाओं/पुरूषों हेतु 78 अदद् मूत्रालय (यूरिनल) चयनित स्थलों पर निर्माण रख–रखाव एवं संचालन हेतु निम्न शर्ते है :–

1. मूत्रालय हेतु स्थल नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर पूर्ण स्वामित्व नगर निगम का रहेगा।
2. स्थल उपलब्धता के अनुसार कार्यदायी संस्था को मूत्रालय की ड्राईंग एवं निर्माण लागत का विवरण भी विभाग को उपलब्ध कराना होगा एवं अपने खर्चे से उक्त मूत्रालय का निर्माण एवं रख रखाव करना होगा। इस सम्बन्ध में नगर निगम (प्रथम पक्ष) एवं कार्यदायी संस्था (द्वितीय पक्ष) के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगाद्व जिसकी समय अवधि 15 वर्ष होगी।
3. प्रथम पक्ष को निरीक्षण करने का अधिकार होगा एवं निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को सूचित किया जायेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय में त्रुटियों का निस्तारण न करने पर नगर निगम द्वारा जो भी दण्ड आरोपित किया जायेगा उसे संस्था को देना होगा।

ह0...महापौर

4. मूत्रालय के सचालन व रख–रखाव की समीक्षा प्रत्येक 06 माह पर की जायेगी। 15 वर्षो की संतोषजनक कार्य पद्धति के उपरान्त पुनः 5 वर्ष की अनुमति दो बार प्रदान की जा सकेगी तदुपरान्त मूत्रालय को क्रियाशील स्थिति में नगर निगम को हस्तानान्तरित करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष को मूत्रालय में एक सूचना पट लगाना होगा जिस पर मूत्रालय के निर्माण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का भी प्रकाशन किया जायेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा मूत्रालय सफाई की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
7. इस अनुबन्ध की अवधि में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रश्नगत मामला नगर आयुक्त कानपुर को अग्रसारित कर दिया जायेगा एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षों को स्वीकार होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष से आवंटित स्थल एवं कार्य को कभी भी किसी व्यक्ति, ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को किसी भी रूप में स्थानान्तरित नही किया जायेगा।
9. मूत्रालय पर विज्ञापन का निर्धारण नयी विज्ञापन/उ0प्र0 नगर निगम विज्ञापन कर व वसूली नीति के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।
10. द्वितीय पक्ष द्वारा मूत्रालय के परिसर का उपयोग मूत्रालय संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नही किया जायेगा, अन्यथा प्रथम पक्ष को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा निर्माण पर किया गया व्यय भी देय नही होगा।

उल्लिखित शर्तो के अनुरूप स्वैच्छिक संस्था एहसान फाउण्डेशन, 133/10–ए प्रथम तल रत्तूपुरवा, टी0पी0 नगर, कानपुर के माध्यम से कराये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा0 सदन की स्वीकृति/अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... **प्रश्नगत स्थलों में प्राविधानित नियम/शर्तो के साथ मूत्रालय (यूरिनल) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्याः–174</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी./190/न.आ./प्रोजेक्ट–सेल/ 15–16 दिनांक 18.03.16 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित ।

<u>प्रस्ताव</u>

केन्द्र पोषित अमृत योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम द्वारा जलापूर्ति, सीवरज़े एवं पार्क का सर्विस लेविल इम्प्रूवमेन्ट प्लान (एस0एल0आई0पी0) क्रमशः रू0 1028.25 करोड़, 2565.00 करोड़ एवं रू0 6.57 करोड़ का क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के सहयोग से तैयार कराया गया था। तत्पश्चात क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र द्वारा तैयार किये गये सर्विस लेविल इम्प्रूवमेन्ट प्लान के आधार पर राज्य का स्टेट एन्यूअल एक्शन प्लान (एस0ए0ए0पी0) तैयार किया गया जिसकी स्वीकृति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.12.2015 को प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त अर्बन ट्रांसपोर्ट तथा स्टार्म वाटर ड्रेनेज की एस0एल0आईपी0 भी तैयार की जानी है। भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन्स के प्रस्तर 8.1 में निम्न प्राविधान हैः–

ह0...महापौर

"Projects will be executed by ULBs. In case the ULBs do not have adequate capacity to handle projects, the State Government may recommend in SAAP, upon a Resolution passed by the ULB, for the execution of the projects by specialized parastatal agencies of the State or Central Governments. Such arrangements should necessarily be executed by way of a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) amongst the State Government, the specialized Parastatal agencies and the concerned Municipality. In such a case, the capacity of the ULBs will be augmented through the capacity building component of the AMRUT. The maintenance and upkeep of the created assets will be the responsibility of the ULB and the State Government."

शासनादेश संख्या 5457/नौ–5–2015–227सा/2015, दिनांक 22.12.2015 के द्वारा अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन, स्मार्ट सिटी मिशन व स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्राक्कलन विरचन व निर्माण के कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम/सीएण्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सम्पादित कराये जायेगें, के आदेश जारी किये गये हैं तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य मे राज्य सरकार एवं राज्य मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4466(1)/नौ–5–15–227सा/2015, दिनांक 30.07.2015 द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को रिसोर्स सेण्टर नामित किया गया है।

अमृत गाईड लाइन्स के प्रस्तर 8.1 में की गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव मा0 सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृत प्रदान की गई।

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड–3 के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत माननीय सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
175	जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत सेक्टर–ए की आन्तरिक सड़को, साइट पटरियों एवं नालियों के सुधार कार्य के सम्बन्ध में।	2305007	3439000.00	15.00 प्रतिशत निम्न	2923150.00	मेसर्स माँ सीताराम इन्टर प्रा.	स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0...महापौर

176	जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत कृष्णा पार्क के चारो तरफ सड़क, साइट पटरी एवं नाली के सुधार कार्य।	2305007	3985000.00	15.00 प्रतिशत निम्न	3387250.00	मेसर्स माँ एन. डी. ई. प्रा.	स्वीकृति प्रदान करते हुये शासन को अग्रसारित किया गया।

अभियन्त्रण खण्ड–1 के अन्तर्गत माननीय सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

प्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	फर्म का नाम	निर्णय
177	जोन–1 वार्ड–99 के अन्तर्गत चमनगंज में फाहिमाबाद डम्प पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य। (पार्ट–1)	30,28,947.00	29,96,400.00	0.12 प्रतिशत निम्न	मे0 एस0ए0 बिल्डर्स	स्वीकृति प्रदान की गई।
178	जोन–1 वार्ड–99 के अन्तर्गत चमनगंज में फाहिमाबाद डम्प पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य। (पार्ट–2)	28,40,769.00	28,37,359.00	0.12 प्रतिशत निम्न	मे0 एस0ए0 बिल्डर्स	स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से आज दिनांक–01-09-2016 को अपरान्ह 01:00 बजे सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–01-09-2016 को अपरान्ह 01:00 बजे सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

अन्त में राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ।

ह0.....
(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/अध्यक्ष